**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर**

पीठासीन अधिकारी – हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या– 54/2022

**वादी** :– नेमाराम पुत्र श्री भीकाराम, जाति राईका, निवासी देवासियों का बास ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

**बनाम**

**प्रतिवादीगण** :–

1. खेमाराम पुत्र श्री भीकाराम
2. दौलाराम पुत्र श्री भीकाराम
3. श्रवण पुत्र श्री भीकाराम
4. हड़मानराम पुत्र श्री भीकाराम
   जातियान राईका निवासीगण देवासियों का बास ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
5. लिच्छी पुत्री श्री भीकाराम पत्नी श्री उगमाराम, जाति राईका निवासी ग्राम गुजरावास, हालनिवास ग्राम चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती**

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार

**निर्णय दिनांक :–** 7/12/2023

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में खाता संख्या 118 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4369 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282/113 रकबा 0.7038 हैक्टेयर वादी की सयुक्त खातेदारी व सयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिसमें वादी का 11/60 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज है। इसी प्रकार उक्त ग्राम गुजरावास में खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 91/7 रकबा 0.6877 हैक्टेयर वादी की सयुक्त खातेदारी व सयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा निहित है। उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि के सुधार कार्य हेतु वादी को ऋण की आवश्यकता हुई तो वादी बैक मैनेजर के समक्ष

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपने सरकारी दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड की प्रतिया लेकर गया। जिसे देखकर बैक मैनेजर ने बताया कि आपका राजस्व रेकर्ड में तो नाम नैनाराम दर्ज है तथा सरकारी दस्तावेजात् में आपका नाम नेमाराम दर्ज है। इसलिए आपको बैक से ऋण प्राप्त नही हो सकता है। वादी का नाम नैनाराम के स्थान पर नेमाराम दुरूस्त करवाया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी के पिता भीकाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 19.08.2020 को स्वीकृत करते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से वादी का नाम नेमाराम के स्थान पर नैनाराम लिख दिया गया है जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात् में सही नाम नेमाराम दर्ज है। जिसके कारण वादी न तो बैक से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा न ही किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम नैनाराम पुत्र भीकाराम को दुरूस्त कर नेमाराम पुत्र भीकाराम को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के लिए खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाड़ा मे स्थित भूमि खाता संख्या 118 के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4369 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282/113 रकबा 0.7038 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 11/60 वॉ हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार नैनाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भीकाराम की दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित फरमावे इसी अनुसार खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 91/7 रकबा 0.6877 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/6 वॉ हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार नैनाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भीकाराम की दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या–1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जवाब दावा में वादी का वाद स्वीकार कर नैनाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भीकाराम की दुरूस्ती करने की सहमति प्रदान की गयी। इस कारण दावे में तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दावे के साथ जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079, नामांन्तकरण संख्या 675, 477, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, राशनकार्ड, ई श्रम कार्ड, बैक डायरी, घरेलु विद्युत कनेक्शन बिल व जॉब कार्ड प्रदर्श 1 से 11 पेश किये है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम नेमाराम दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी की खातेदारी नैनाराम पुत्र भीकाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहां है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नेमाराम पुत्र भीकाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 6 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 118 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4369 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282/113 रकबा 0.7038 हैक्टेयर व खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 91/7 रकबा 0.6877 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम नैनाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भीकाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/12/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,**

ब इजलास हँसमुख कुमार, आर.ए.एस.

**वादी** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

नेमाराम खेमाराम व अन्य

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट**

**सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट**

**राजस्व वाद संख्या :– 54/2022**

निर्णय दिनांक :– 7/12/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 118 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4369 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282/113 रकबा 0.7038 हैक्टेयर व खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 91/7 रकबा 0.6877 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम नैनाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भीकाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

**तीज – मुबलिग – बाबत् –**

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7/12/23 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा